फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
उदाराम के कायम मुकाम बनाम फगलुराम इत्यादि

किस्म मुकदमा... विविध–रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न. 08 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2026	पत्रावली मुख्यालय जोधपुर वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील संख्या 32ए/2016 अनवान उदाराम बनाम फगलुराम में दिनांक 17.02.2021 नियत थी व बाद में 26.04.2021 नियत की गई जो अधिवक्ता द्वारा अपनी डायरी में नोट की गई। उक्त पेशी पर पत्रावली पेशी में नहीं आने के कारण पत्रावली को तलाश किया गया, परंतु नहीं मिली। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2021 को अपीलांट के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। तत्पश्चात विश्वव्यापी कोविड 19 महामारी के प्रकोप के चलते प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थीगण की मंशा जानबूझकर अनुपस्थित रहने की नहीं थी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोविड–19 के महामारी के प्रकोप के संक्रमण के समय को माफ किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के कारण अपीलार्थीगण को न्याय से वंचित नही रखा जाना चाहिए। इसलिए न्याय हित में पार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः रेस्टोर किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को रेस्टोर फरमा कर पुनः नंबर पर लिए जाने का आदेश फरमाया जावें। जवाब में अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में मिथ्या कथन किये गये है। माननीय न्यायालय द्वारा अपील अदम हाजरी में खारिज करते वक्त विकट परिस्थितियॉ उत्पन्न नहीं थी। तत्समय न्यायालय कार्य पुनः शुरू हो गया था। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अदालत हाजा द्वारा अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर अपील दिनांक 27.07.2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है। इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि तत्समय कोविड–19 महामारी के प्रकोप के चलते विकट परिस्थितियॉ थी। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत दिशा–निर्देशों अनुसार तत्सयम न्यायालय कार्य सुचारू हो चुका था तथा कोविड–19 महामारी का प्रकोप कम हो चुका था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथन विश्वसनीय नहीं ठहरते है। लिहाजा प्रस्तुत पार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर अपील के साथ नत्थी हो। आदेश सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर